न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व प्रकरण संख्या : – 98 / 2011

उनवान

1. पन्ना पुत्र घासी (फौत)
1/1. भंवरी पत्नी पन्ना
1/2. भैरू पुत्र पन्ना
1/3. उंकार पुत्र पन्ना
1/4. रघुनाथ पुत्र पन्ना
1/5. चन्ता पुत्री पन्ना
1/6. सोहनी पुत्री पन्ना
2. छीतर पुत्र घासी (फौत)
2/1. भंवरी पत्नी छीतर
2/2. धन्ना पुत्र छीतर
2/3. किशना पुत्र छीतर जाति–गुर्जर नि0 ग्राम मण्डियानी नसीराबाद जिला अजमेर

— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. हमीरा मु0 हीरा,
2. छोटी पत्नी सुगनचन्द
3. अमरचन्द,
4. राजू पि0 रामचन्द्र
5. भंवरी पत्नी काना
6. धमेन्द्र पुत्र काना
7. नौसर पुत्री काना जाति– गुर्जर नि0 मंडियानी नसीराबाद
8. राज.सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

— प्रतिवादीगण :– 1 से 7 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 अ राज. काश्त. अधि. 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 26.3.21

वादीगण ने जरियें अधिवक्ता उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मण्डियानी में वादीगण की कयशुदा आराजी स्थित है जिसका विवरण निम्न [illegible]

खाता संख्या	साविक ख0न0	रकबा	हाल [illegible]	[illegible]बा
259 / 257	1360	7–[illegible]	[illegible]	[illegible]
	1021	2–[illegible]	1046	0.32
	1022	1–[illegible] से 1 [illegible]	[illegible]	0.2[illegible] से 0.16
	1362	3–11–0 में से 1–8–0	1256	0.57 में से 0.24
	1366	0–5–0	1045	0.04 में से 1/6

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:56:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

1356			
1354	1–6–0		
	0–9–0	1047 / 2209	0.13में से 1 / 6
		1045	0.04मेंसे 1 / 6

[illegible] आराजी वादीगण ने दिनांक 1.4.74 को [illegible] व दखल प्राप्त कर लिया था। उपरोक्त पंजीकृत विक्रय पत्र की पालना आज दिनांक तक अधिकार अभिलेख में नही की गयी है। तथा हाल राजस्व अभिलेख में बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है व अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हीरा पुत्र शोराम से क्रय कर

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी के मूल खातेदार हमीरा मुतबन्ना हीरा, रामचन्द्र, काना पि0 हजारी थे। हीरा फौत होने से नामान्तकरण संख्या 20 दिनांक 09.10.77 को आराजी मुतनाजा हमीरा पुत्र हीरा के नाम दर्ज हुयी। तथा छीतर पुत्र सालू के बजाय रामचन्द्र, काना पुत्र हजारी के नाम दर्ज हुयी। वंर्किग जमाबंदी के अनुसार हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा मूल खातेदार तत्पश्चात प्रतिवादीगण / वारिसों के नाम सही रूप से दर्ज की गयी। आराजी मुतनाजा पर वर्षो से प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजों द्वारा उक्त आराजी का बैचान नही किया है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

प्रकरण में वाद पत्र व जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी वादी की विधिक क्रयशुदा होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?
   –– वादी
2. आया विक्रय पत्र फर्जी होने से वाद खारिज योग्य है ?
   –– प्रतिवादी
3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी व अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने प्रकरण में कोई साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 व 2 :–

आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। वंर्किग खसरा नम्बर हमीरा पुत्र हीरा के नाम दर्ज हुयी तथा छीतर पुत्र सालू के बजाय रामचन्द्र, काना पुत्र हजारी के नाम दर्ज हुयी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत विक्रय पत्र अनुसार वंर्किग खसरा नम्बर 1360, 1021, 1022, 1362, 1366, 1356, 1354 हीरा पुत्र शोराम से क्रय करना बताया गया। किन्तु वंर्किग जमाबंदी में ख0न0 1354 के अतिरिक्त शेष आराजी हमीरा मुतबन्ना हीरा के नाम दर्ज है। वंर्किग खसरा नम्बर 1354 की जमाबंदी वाद ने पेश नही की है। उक्त आराजी हीरा मुतबन्ना शोराम के नाम खातेदारी दर्ज होने की कोई जमाबंदी वादीगण ने पेश नही की है। वादग्रस्त आराजी विक्रेता के नाम कौन से अधिकार अभिलेख में दर्ज थी। तथा उक्त आराजी पुश्तैनी होने के कथ परदी ने सिद्व नही किये है। हीरा पुत्र शोराम का शजरा भी वादी ने पेश नही किया है। जिससे स्पष्ट नही होता है कि हीरा पुत्र शोराम के वारिस कौन–कौन है। वादीगण ने अपने वाद को सिद्व करने के लिये साक्ष्य व ठोस दस्तावेज पेश नही किये है। विक्रय पत्र में अंकित विक्रेता का नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज नही होने के कारण वादीगण के नाम उक्त आराजी दर्ज नही की गयी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज ये वादीगण के कथनों की पुष्टि नही होती है। ना ही हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। अतः तनकी विरूद्व वादीगण बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम मण्डिय[illegible] के हाल खसरा नम्बर 1240 रकबा 1.26, 1046 रकबा 0.32, 1048 रकबा 0.16 व 1256 रकबा 0.24, 1045 रकबा 0.0[illegible]/2209 रकबा 0.13 व 1045 रकबा 0.04 की आराजी पर वादीगण का वाद “खारिज[illegible] खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:56:28 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

पन्ना बनाम हमीरा वगै0

दावा बाबत :— 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर — 98/2011
पेश करने की दिनांक — 20.05.11

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)—व हाजिर सुखदेव चौधरी अभिभाषक मुददई सीताराम रावत अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम मण्डियानी के हाल खसरा नम्बर 1240 रकबा 1.26, 1046 रकबा 0.32, 1048 रकबा 0.16 व 1256 रकबा 0.24, 1045 रकबा 0.04, 1047/2209 रकबा 0.13 व 1045 रकबा 0.04 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 24 माह 03 सन् **2021** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:56:28 IST
Reason: SelfAttested